पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य-सामान्य निर्देश(132) भाग-3/2022-23/ 3427 /वाणिज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक 01 नवम्बर, 2022

1-समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2-अपर निदेशक(प्रशिक्षण संस्थान)राज्य कर,
गोमतीनगर, लखनऊ।

3-समस्त आहरण वितरण अधिकारी/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त (ए),
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

-- ------

विषय:- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत सरकारी सेवकों/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के ऑनलाइन आवेदन के सत्यापन के सम्बन्ध में ।**

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन ने पत्रांक-एस0ई0सी0टी0एस0/पत्रा-444-Guidelines/2022/1370 दिनांक 27.09.2022 द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की समीक्षा के उपरान्त सभी पात्र लाभार्थियों के लम्बित आवेदनों को यथाशीघ्र निस्तारित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

अत: शासन के उक्त पत्र दिनांक 27.09.2022 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि पत्र में की गयी अपेक्षानुसार विषयगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
प्रभार-अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- संयुक्त आयुक्त(आई0टी0), राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।

प्रभार-अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4698/PS/ST/22

SO-3

1449/11-3-22

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

06.10.22
(शिव कुमार)
निजी सचिव
प्रमुख सचिव
राज्य कर विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

SO-3

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

पत्रांक: एस0ई0सी0टी0एस0/पत्रा–444–Guidelines/2022/1370 लखनऊ: दिनांक 27 सितम्बर, 2022

विषय–पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत सरकारी सेवकों/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के ऑनलाइन आवेदन के सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत कैशलेस इलाज हेतु सरकारी सेवक/सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को योजना के पोर्टल http://sects.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से "स्टेट हेल्थ कार्ड" उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। सरकारी सेवक एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन क्रमशः सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी एवं कोषाधिकारी द्वारा पोर्टल पर ही किया जाता है, जिसके लिये राज्य के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों एवं मुख्य कोषाधिकारियों को यूजर आई0डी0 उपलब्ध कराया गया है।

योजना की समीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया है कि अनेक जनपदों में कई विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर पर बड़ी संख्या में सरकारी सेवकों के ऑनलाइन आवेदन सत्यापन हेतु लम्बित हैं। इसी प्रकार अनेक जनपदों के मुख्य कोषाधिकारियों के स्तर पर भी सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के ऑनलाइन आवेदन लम्बित हैं। उल्लेखनीय है कि लाभार्थी आवेदन के सत्यापन के उपरान्त ही e-KYC एवं "स्टेट हेल्थ कार्ड" डाउनलोड किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण हो पायेगी। अतः यह अनिवार्य है कि सभी सरकारी विभागों के आहरण–वितरण अधिकारियों तथा जनपद के मुख्य कोषाधिकारियों द्वारा अपने लॉग–इन में प्रतिदिन लाभार्थियों के आवेदन को सत्यापित/निस्तारित किया जाये।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि विभागीय आहरण–वितरण अधिकारियों को शासन स्तर से इस आशय का निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि सभी पात्र लाभार्थियों के लम्बित आवेदनों को यथाशीघ्र निस्तारित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये, जिससे योजना का लाभ लेने में लाभार्थियों को कठिनाई न हो।

भवदीय

27/9/2022

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रमुख सचिव